

कार्यालय : बरेली विकास प्राधिकरण
विकास ज्योति, प्रियदर्शिनी नगर, पीलीभीत रोड, बरेली।

पत्रांक सं० ५७७ मा०/का० बी० डी० ए०/२०१६

दिनांक : २९-५-१६

स्वीकृति पत्र

बरेली विकास क्षेत्र की सीमा में भवन निर्माण विकास हेतु

कम्प्यूटर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा० लि० द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि

श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेम नारायण गुप्ता

निवासी- 177/4 एस०पी०जी० होण्डा एजेन्सी स्टेशन रोड, बरेली।

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री गोपाल

निवासी- 14 सिविल लाइंस, बरेली।

श्री पारेश अग्रवाल पुत्र श्री नीलेश अग्रवाल

श्रीमती प्रिन्सी अग्रवाल पत्नी श्री पारेश अग्रवाल

निवासी-सिविल लाइंस, पीलीभीत

निर्माण स्थल- गाटा संख्या-12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 25 मि०, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 223, 224, 225, 228, 229, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 273, 274, 301, 302, 303, 347, 349, 350, 353, 354, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 581, 584, 118, 119, 312, 313, 346 व 355 ग्राम नरियावल।

आपके मानचित्र सं०-312/01/एल०ओ०/14 दिनांक 28-04-2014 के संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 28-09-2015 के क्रम में निर्माण करने की अनुज्ञा निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। यदि आपके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत विधिक कार्यवाही के साथ-साथ यह स्वीकृति भी निरस्त हो जायेगी, और निरस्तीकरण के कारण जो भी विवाद होगा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

1. स्वीकृत मानचित्र स्वीकृति पत्र में अंकित शर्तों के साथ ही वैध होगा।
2. भवन उपविधि-2008 के परिशिष्ट-2 उपविधि सं०-2.1.6 के अनुसार विकास कार्य आरम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
3. भवन उपविधि-2008 के परिशिष्ट-3 उपविधि सं०-2.1.8 भू-विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनापत्ति की शर्तों का अनुपालन करना होगा। प्रस्तुत मानचित्र में पहुँच मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से दर्शाया गया है, जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जबकि एन०एच०ए०आई० की अनापत्ति में राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे पहुँच का निर्माण नहीं किए जाने का उल्लेख है।

अतः सर्विस रोड के माध्यम से पहुँच मार्ग लिया जायेगा, अन्यथा की दशा में राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे पहुँच मार्ग बनाने से पूर्व एन०ओ०सी० की शर्त संख्या-01 के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

5. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अनापत्ति दिनांक 10-04-14 की शर्तों का पालन करना होगा।
6. संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र०, लखनऊ के अनापत्ति पत्र दिनांक 05 मई 14 की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। व्यवसायिक (सुविधाजनक) दुकान हेतु पृथक से एन०ओ०सी० प्राप्त करनी होगी।
7. ई०डब्लू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों का निर्माण योजना के अन्य आवासीय स्टॉक की भौतिक प्रगति के अनुपात में किया जायेगा।
8. सभी टाइप डिजाइन भवनों ई०डब्लू०एस० व एल०आई०जी० भवनों, व्यवसायिक एवं कार्यालय भवनों की संरचना सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। भवन निर्माण भूकम्परोधी किए जायें तथा संरचना सुरक्षा सम्बन्धी किसी प्रकार की कमी का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. भू-जल की रिचार्जिंग हेतु निर्मित जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 3.00 मी० से अधिक नहीं होगी तथा जलाशय में प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को नहीं मिलाया जायेगा।

सुरक्षा के समस्त मानक पूर्ण करने होंगे किसी प्रकार की कमी के लिए विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे। प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10. सर्विसेज हेतु प्रस्तुत मानचित्र के एन०एच०ए०आई० की एन०ओ०सी० की शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए, आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता को स्वयं अपने खर्च पर कराने होंगे।
11. ले-आउट प्लान के अर्न्तगत प्रस्तावित ब्लाकों एवं भवनों के निर्माण से पूर्व यथा आवश्यक अग्नि सुरक्षा दृष्टि से सुरक्षा उपाय स्थल पर कराने होंगे।
12. प्लाटों पर निर्मित भवनों से जनित होने वाले मल-जल के शुद्धिकरण हेतु सक्षम क्षमता का सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र (एस०टी०पी०) की स्थापना का उत्तरदायित्व आवेदक/विकासकर्ता का होगा।
13. आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तरित करने का उत्तरदायित्व आवेदकगण का होगा एवं हस्तगत होने तक विकास कार्यों का अनुक्षण भी आवेदकगण द्वारा ही किया जायेगा।
14. मानचित्रों में एरिया चार्ट में दर्शित क्षेत्रफल एवं गणनाओं में अन्तर पाये जाने की दशा में दोनों में न्यूनतम क्षेत्रफल/मॉफ ही स्वीकृत मानी जायेगी और किसी संशोधन की दशा में पक्ष को संशोधित मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत कराना होगा।
15. मानचित्र पर दर्शायी गयी सर्विसेज के अनुरूप स्थल पर समस्त विकास कार्य एवं रेन वाटर हावेस्टिंग सोलर हीटिंग संयंत्र आदि का निर्माण कराना होगा।
16. स्वीकृत टाइप डिजाइन के अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व प्राधिकरण से नियमानुसार वांछित देय शुल्को का भुगतान करके भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, उसके उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।
17. शासनादेशों के अनुसार लैंड स्कैपिंग व वृक्षारोपण की समुचित व्यवस्था आवेदकगण को स्थल पर स्वयं करानी होगी।
18. भविष्य में सम्भावित विशिष्ट अवस्थापना सुविधाओं पर आने वाले समानुपातिक व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
19. यह कि विकासकर्ता द्वारा अपनी कालोनी में जलापूर्ति संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था (जल नालिकाओं को बिछाने कार्य सहित) स्वयं करेंगे भविष्य में पानी की आपूर्ति हेतु बरेली विकास प्राधिकरण से मांग नहीं करेंगे।
20. किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि यथा तालाब, पोखरे, ग्राम समाज की भूमि निहित होने की दशा में आवेदक/विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे और उसका भू-उपयोग तालाब एवं पोखरे ही निर्धारित होगा।

3/5/16

3/5/16

3/5/16

21. मानचित्र पर जलमल निस्तारण एवं आन्तरिक विकास कार्यो हेतु आवश्यक सर्विसेज अंकित करते हुए विकासकर्ता द्वारा ड्राइंग प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार पी0डब्लू0डी0 के मानको के अनुरूप स्थल पर कार्य कराना होगा तथा विद्युत वितरण हेतु पोल एवं तार आपूर्ति का कार्य स्थल पर आवेदकगण द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मानको के अनुरूप कराना होगा।
22. भू-स्वामित्व निर्धारण करने का अधिकार प्राधिकरण का नहीं है अर्थात् प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने का अभिप्राय भू-स्वामित्व का निर्धारण करना नहीं है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
23. प्रस्तुत स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यथा पारित आदेशों (यदि कोई हों) के अधीन रहेगी।
24. मानचित्र में जो पार्क व खुला स्थान दर्शाया गया है उसका उपयोग मानचित्र में अंकित प्रयोजनार्थ ही किया जायेगा।
25. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्राप्त प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार से यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत करके अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
26. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पुनः स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
27. विकास व निर्माण करने की अनुमति विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्तियों के आधार पर दी जाती है। यदि प्राप्त अनापत्ति पर कोई विवाद होता है अथवा कोई विपरीत तथ्य पाये जाते हैं, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
28. विकास कार्य के दौरान कोई भी त्रुटि अथवा परिवर्तन पाये जाने पर विकासकर्ता का स्वयं उत्तर दायित्व होगा।
29. निर्माणकर्ता/विकासकर्ता को निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य स्थल के प्रमुख स्थान पर 2X 3.50 फिट माप का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक होगा जिस पर प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र का समस्त विवरण, साइट इंचार्ज का नाम व मोबाईल नम्बर, निर्माण की प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
30. स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र पर अंकित शर्तों का आवेदक द्वारा पालन करना अनिवार्य है, यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



सचिव

बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

प्रतिलिपि:

तददिनांक-

1- जोन प्रभारी जोन...01.....को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु मानचित्र की प्रति सहित प्रेषित।





सचिव

बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।